



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ4(67)भण्डार/IGPRS/2013/8439-46

दिनांक: 26/2/20

निविदा सूचना

संस्थान में ए.सी. प्लान्ट, वाटर कूलर के रखरखाव, फोटो व वीडियोग्राफी, ए.सी. रखरखाव एवं फोटो स्टेट एवं बाईन्डिंग कार्यों की रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु सीमित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रूपये लाखों में)	निविदा अपलोकड़ करने की तिथि	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र शर्तों का विवरण की पृष्ठ संख्या
1.	ऑडिटोरियम के वातानुकूलन संयंत्र का रखरखाव	1.50 लाख	26.02.2020	05.03.2020	01 से 04
2.	फोटो व वीडियोग्राफी कार्य	1.50 लाख	26.02.2020	05.03.2020	05 से 08
3.	वाटर कूलर का रखरखाव	1.50 लाख	26.02.2020	05.03.2020	09 से 11
4.	ए.सी. रखरखाव कार्य	1.50 लाख	26.02.2020	05.03.2020	12 से 16
5.	फोटो स्टेट एवं बाईन्डिंग कार्य	1.50 लाख	26.02.2020	05.03.2020	17 से 19

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्यों हेतु निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराहन 3:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र, कार्य का विवरण व शर्तें जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जावे, उससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व शर्तों का ही प्रिन्ट लेकर निविदा प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर अपलोड करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान।

उपनिदेशक (प्रशा0)

सहायक निदेशक (प्रशासन)
इन्दिरा गाँधी पंचायती राज
एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

ऑडिटरियम के वातानुकूलन संयन्त्र का रखरखाव कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5. निविदा दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
6. निविदा दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
7. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
8. निविदादाता को मुख्य पैनल से केन्द्रीय एवं विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।
9. निविदादाता को वातानुकूलन संयन्त्र (ऑडिटरियम) के सम्पूर्ण विद्युत सप्लाई संयंत्रों, पाईप लाईन, कूलिंग टावर तथा इससे संबंधित सभी कार्य करने होंगे। इन सभी संयंत्रों की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा इनमें कोई पार्ट्स, गैस आदि लीकेज होने पर या कम होने पर फर्म को डालनी होगी जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।

10. चूंकि संस्थान में कार्यक्रम एवं गतिविधियां अतिविशिष्ट एवं आवश्यक प्रकृति की है। अतः संयंत्र का वार्षिक रखरखाव व संचालन कम्पनी मैनुअल के अनुसार सजगता एवं तत्परता से करना होगा।
11. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
12. किसी सामान/कलपुर्जे को मरम्मत हेतु संस्थान के बाहर बिना प्रभारी अधिकारी की अनुमति के नहीं ले जायेगा।
13. संस्थान के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम व गतिविधियों के दौरान वातानुकूलन संयंत्र चालू रहने की स्थिति में निविदाकार का तकनीकी प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, ताकि संयंत्र में आये गतिरोध को तुरन्तु संभाल लिया जावे एवं संयंत्र चालू स्थिति में रखा जा सके।
14. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
16. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
17. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
19. कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबंध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।
20. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑडिटोरियम पर्याप्त ठंडा रहे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि ऑडिटोरियम में वातानुकूलन नहीं होता है तो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए दण्डस्वरूप रख-रखाव विपत्र राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटी जावेगी।
21. निविदादाता को वातानुकूलन संयंत्र के समस्त बिजली के पैनल उनमें लगे हुए इन्स्ट्रूमेंट के खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
23. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।

24. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
25. कार्य की दरे जी-शिड्यूल में अंकित करनी होगी।
26. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
27. सफल निविदादाता को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 5,000/- रूपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।



अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

पृष्ठ संख्या- 04
परिशिष्ट- (ब)



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रस्तुत दर
1.	वातानुकूलन संयंत्र का वार्षिक रखरखाव- 36 X 2 टी आर के 2 ए.सी. प्लांट	01	
2.	वातानुकूलन के संचालन हेतु प्रति दिन/प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति मानदेय	01	

नोट :- उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

फोटोग्राफी व विडियोग्राफी कार्य की निविदा शर्तें व विवरण


1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5. निविदा दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
6. निविदा दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
7. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
8. फोटोग्राफी विडियो रिकॉर्डिंग के कार्य का स्टूडियो जयपुर में होना व आवश्यक उपकरण (E Liting Table) स्वयं के होने चाहिए।
9. मुख्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी कार्य हेतु दो फोटोग्राफर उपलब्ध कराने होंगे।
10. समस्त कार्य हेतु डाटा/सामग्री फर्म को संस्थान से लेनी व पहुंचानी होगी।
11. कार्यक्रम दिनांक से अधिकतम 03 दिवस में समस्त डाटा/डीवीडी उपलब्ध करानी होगी।
12. समस्त उपकरण व सामग्री फर्म के स्वयं के होंगे।
13. मल्टी कैमरा सेट अप व फोटोग्राफर कैमरा मेन कार्यक्रम समय से एक घण्टे पूर्व उपस्थित होने आवश्यक है।

Sw

14. विडियो रिकॉर्डिंग कार्य में प्रारम्भ में एक घण्टे से कम व एक घण्टे तक की दरें एक घण्टे की दरें मान्य होंगी। दरें एक घण्टे के गुणांक में मान्य होंगी। उक्त दरें प्रति कार्यक्रम प्रतिदिन के अनुसार होंगी।
15. फोटोग्राफर डाटा फर्म द्वारा सलेक्ट कर देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि फोटोग्राफर द्वारा 500 फोटो क्लिक की गई है। संस्थान द्वारा 100 फोटो डाटा के निर्देश दिये गये हैं, तो 100 फोटो सलेक्ट कर देने होंगे।
16. वीडियो रिकॉर्डिंग कर डाटा/डीवीडी में संस्थान का नाम व प्रस्तुति संस्थान के टाइटल डालकर देने होंगे।
17. जयपुर से बाहर अन्य स्थानों पर सेमीनार/प्रशिक्षण आयोजित किये जाने पर फोटोग्राफी, विडियो रिकॉर्डिंग कार्य हेतु फर्म को फोटोग्राफर कैमरा मेन भेजने होंगे।
18. फर्म को संस्थान द्वारा दूरभाष पर निर्देश देने पर भी कार्य हेतु फोटोग्राफर कैमरा मेन भेजने होंगे।
19. इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक सरकारी संस्थान है। इसलिए फर्म द्वारा सरकारी विभाग, संस्थान में उच्च स्तर के सेमीनार/प्रशिक्षणों में फोटोग्राफी व विडियो रिकॉर्डिंग कार्य सन्तोषजनक करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
20. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
21. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
22. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
23. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
24. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
25. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
26. कार्यदेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबंध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।



27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
28. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।
29. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
30. कार्य की दरें जी-शिड्यूल में अंकित करनी होंगी।
31. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
32. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 5,000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

पृष्ठ संख्या - 08
परिशिष्ट- (ब)



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति नग (सभी करों सहित)
1.	फोटो साईज 4 X 6	
2.	फोटो साईज 5 X 7	
3.	फोटो साईज 6 X 8	
4.	फोटो साईज 8 X 12	
5.	पास पोर्ट साईज फोटो की दर (प्रति फोटो)	
6.	प्रेस रिलीज हेतु कार्यक्रम की फोटो DVD में देना	
7.	HD विडियोग्राफी प्रति घण्टा (नॉन शूटिंग टाइम)	
8.	HD विडियोग्राफी प्रति घण्टा दर (शूटिंग टाइम)	
9.	फोटोग्राफी की मजदूरी दर (प्रतिदिन)	
10.	HD विडियो रिकॉर्डिंग की DVD बनाने की दर (प्रति DVD)	
11.	DVD से DVD बनाना काफी (प्रति DVD)	
12.	एलबम 36 फोटो	
13.	एलबम 48 फोटो	
14.	एलबम 72 फोटो	

उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०


Handwritten signature

वाटर कूलर एवं आर. ओ. मशीन के रखरखाव कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5. निविदा दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
6. निविदा दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराहन 3:00 बजे खोली जायेगी।
7. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
8. संस्थान के समस्त वाटर कूलरों का वार्षिक रखरखाव व संचालन कम्पनी मैनुअल के अनुसार सजगता एवं तत्परता से करना होगा।
9. उपकरणों की देखरेख एवं मरम्मत कार्य फर्म द्वारा ही सम्पादित किये जायेंगे एवं किसी उपकरण में खराबी आने पर ऑन कॉल उपस्थित होना आवश्यक होगा।
10. सर्विस के दौरान किसी भी प्रकार के पार्ट्स की आवश्यकता हो तो फर्म द्वारा संस्थान को सूचित करना होगा।
11. वाटर कूलर व आर. ओ. का कार्य/सर्विस भी फर्म द्वारा की जावेगी।
12. फर्म द्वारा किये गये कार्य का भुगतान चार किशतों में प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्ति पर अवधाता व उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा।



13. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
14. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
16. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
17. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
19. कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबन्ध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
21. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।
22. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
23. कार्य की दरे जी-शिड्यूल में अंकित करनी होगी।
24. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
25. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 5,000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रस्तुत दरें प्रति नग
1.	वाटर कूलर इन बिल्ट आर.ओ.	02	
2.	आर. ओ.	03	
3.	आर. ओ. छोटा (12 लीटर)	01	

उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

8v

संस्थान में ए.सी. रखरखाव कार्य की निविदा शर्तें व विवरण


1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5. निविदा दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
6. निविदा दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3:00 बजे खोली जायेगी।
7. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
8. निविदादाता को मुख्य पैनल से केन्द्रीय एवं विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

30

9. निविदादाता को संस्थान में लगे हुए सम्पूर्ण ए.सी. रखरखाव से संबंधित सभी कार्य करने होंगे।
10. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
11. किसी सामान/कलपुर्जे को मरम्मत हेतु संस्थान के बाहर बिना प्रभारी अधिकारी की अनुमति के नहीं ले जायेगा, एवं पार्ट्स खराब होने पर संस्थान के प्रभारी अधिकारी की मौजूदगी में बदलने होंगे।
12. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
13. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
14. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
15. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
16. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
17. कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबन्ध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
19. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।



20. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
21. कार्य की दरे जी-शिड्यूल में अंकित करनी होगी।
22. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
23. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 7,500/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तों मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरें प्रति नग
1.	स्पलिट ए.सी. की सर्विस	
2.	विण्डो ए.सी. की सर्विस	
3.	कैसिट ए.सी. की सर्विस	
4.	स्पलिट ए.सी. में गैस भराई	
5.	स्पलिट ए.सी. में हाफ गैस भराई	
6.	विण्डो ए.सी. में गैस भराई	
7.	कैसिट ए.सी. में गैस भराई	
8.	कैसिट ए.सी. में हाफ गैस भराई	
9.	ए.सी. कंडेन्सर	
10.	ए.सी. मोटर नई	
11.	ए.सी. मोटर रिवाइडिंग	
12.	बुश साफ्ट	
13.	कोन्टेक्टर	
14.	कम्प्रेसर नया :-	
	1.5 टन	
	2.0 टन	

3

	3.0 टन		
15.	कम्प्रेसर रिपेयर :-		
	1.5 टन		
	2.0 टन		
	3.0 टन		
16.	सेसन्सर		
17.	थर्मोस्टेट		
18.	स्टेपलाईजर नया		
19.	स्टेपलाईजर रिपेयर		
20.	Running Capiciter		
21.	रिले		
22.	PCB रिपेयर		
23.	ए.सी. शिपिंग / फिटिंग		
24.	कूलिंग कोएल रिपेयर		
25.	कन्डेसर कोएल रिपेयर		
26.	स्टेनर एण्ड कैपलरी		
27.	आउट डोर फेन ब्लैड		
28.	इन डोर फेन ब्लोवर		
29.	आउट डोर स्टैंड		
30.	कॉपर ट्यूब		
31.	ए.सी. रिपेयर चार्ज		

नोट :- उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०


Handwritten signature

फोटो स्टेट कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. टेण्डर के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5. निविदा दिनांक 05.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
6. निविदा दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराहन 3:00 बजे खोली जायेगी।
7. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है-भागीदारी-डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
8. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।



9. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. अतिरिक्त निदेशक, संस्थान जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा इस कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
11. कार्य की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जो आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
12. दरें कागज, मशीन मय ऑपरेटर, कर एवं अन्य व्ययों सहित होगी। अनुबन्ध की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेगी। इसमें कमी-बेशी की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। फोटो स्टेट कार्य हेतु कार्मिक भी अनुबन्धकर्ता को ही उपलब्ध कराना होगा जो कार्य में पूर्णतः दक्ष होना चाहिये। फोटो स्टेट हेतु मशीन तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
13. फोटो स्टेट का कार्य सामान्यतया प्रातः 09.30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय में कराया जावेगा। विशेष परिस्थिति में इस समय के अलावा भी फोटो स्टेट कार्य कराया जा सकेगा जिसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक अथवा शर्त मंजूर नहीं होगी।
14. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।
15. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 5,000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दरें प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरें प्रति नग
1.	फोटोस्टेट-एक पेपर पर एक साईड मय सैट बनाने तथा पेपर सहित (A4)	
2.	फोटोस्टेट-एक पेपर पर दोनों साईड मय सैट बनाने तथा पेपर सहित (A4)	
3.	फोटोस्टेट-एक पेपर पर एक साईड मय सैट बनाने तथा पेपर सहित (एस-पेपर)	
4.	फोटोस्टेट-एक पेपर पर दोनों साईड मय सैट बनाने तथा पेपर सहित (एस-पेपर)	
5.	फोटोस्टेट रंगीन पेपर पर एक साईड मय सैट बनाने सहित (पेपर सहित A4)	
6.	स्पाईरल बाईडिंग (1 पेज से 25 पेज) विथ मैटेरियल	
7.	स्पाईरल बाईडिंग (25 पेज से 50 पेज) विथ मैटेरियल	
8.	स्पाईरल बाईडिंग (50 पेज से 100 पेज) विथ मैटेरियल	
9.	स्पाईरल बाईडिंग (100 पेज से 200 पेज) विथ मैटेरियल	

उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

(Handwritten signature)